HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 226/2026

1. Priyanka D/o Shri Rakesh, Aged About 27 Years, Resident Of Sitaheda, Sitahar, District Alwar, Rajasthan. Pin- 321605.
2. Dhara Singh Gurjar S/o Samaliya Gurjar, Aged About 25 Years, Resident Of Gurjaron Ki Jhopadi, Idgah Ke Paas, Jaipur Marg, Gangapur City, Sawai Madhopur, Rajasthan . Pin 322201.

----Petitioners

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Its Public Prosecutor.
2. Director General Of Police, Police Head Quarters, Lalkothi, Jaipur.
3. Superintendent Of Police, Sawai Madhopur, Rajasthan.
4. S.h.o. Police Station Udei Mod, Gangapur City, District Sawai Madhopur, Rajasthan.
5. Mohan Sharma S/o Shri Rakesh, Resident Of Sitaheda, Sitahar, District Alwar, Rajasthan. Pin- 321605.
6. Dinesh Sharma S/o Shri Rakesh, Resident Of Sitaheda, Sitahar, District Alwar, Rajasthan. Pin- 321605.

----Respondents

For Petitioner(s) : None Present.
For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

20/04/2026

कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप वेव किये जाते हैं।

याची पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान रिट याचिका याचीगण द्वारा अपने जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि याची क्रम–01 पहले से ही विवाहित है तथा विधिक प्रावधानों के अनुसार विवाह विच्छेद नहीं हुआ। पहले से ही विवाहित ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी से भिन्न व्यक्ति के साथ लिव–इन रिलेशन अथवा वैवाहिक संबंध बना सकते हैं अथवा नहीं तथा ऐसे संबंधों के आधार पर वांछित सुरक्षा उपलब्ध करायी जा सकती है अथवा नहीं, यह बिन्दु इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के समक्ष **Rashika Khandal & Anr. Vs. State of Rajasthan & Ors., 2021 SCC Online Raj. 4296** में विचार का विषय रहा, जिसमें समकक्ष पीठ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **D. Velusamy Vs. D. Patchaiammal (2010) 10 SCC 469** का अनुसरण करते हुए व प्रतिपादित व्यवस्था के प्रकाश में यह व्यवस्था प्रतिपादित की है कि पहले से ही विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी से भिन्न व्यक्ति के साथ इस प्रकार का संबंध रखने हेतु विधितः अनुमत नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना उचित नहीं है।

न्यायिक निर्णय **Rashika Khandal & Anr. Vs. State of Rajasthan & Ors. (पूर्वोक्त)** के पैरा संख्या 2, 3 व 4 सुसंगत है, जो निम्नानुसार हैंः–

> *"2. From perusal of the record, it is revealed that Petitioner No.2 is already married. A live-in-relationship between a married and unmarried person is not permissible.*
> *3. The pre-requities for a live-in-relationship as held by the Apex Court in "D.Velusamy vs. D. Patchaiammal (2010) 10 SCC 469" is that the couple must hold themselves out to society as being akin to spouses and must be of legal age to marry or qualified to enter into a legal marriage, including being unmarried.*
> *4. Criminal Miscellaneous Petition is accordingly dismissed."*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था को देखते हुए याचीगण की ओर से प्रस्तुत यह रिट याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

परिणामतः यह रिट याचिका खारिज की जाती है तथा स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /115